कार्यकारी सार

I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) या विशेष निगमों को शासित करने वाली संविधियों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की की गयी नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

2. रिपोर्ट में 10 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 32 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 42 विशिष्ट अभ्युक्तियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मंत्रालयों/विभागों को ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना जैसे तीन समूहों के अंतर्गत आगे वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के तहत 15, उद्योग समूह के तहत 21 और अवसंरचना समूह के तहत 06 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। अभ्युक्तियों का मसौदा उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेजा गया था जिनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई कार्य कर रहे हैं जिनको छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक 21 टिप्पणियों के प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है। इससे पहले, अभ्युक्तियों का मसौदा संबंधित सीपीएसई के प्रबंधनों को भेजा गया था, जिनके उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3. इस रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई से संबंधित हैं:

क्र. सं.	**मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)**	**पैराग्राफ की संख्या**	**उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था**
ऊर्जा समूह			
1.	कोयला (कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेवेली उत्तर प्रदेश	4	0

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
	पावर लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड)		
2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड)	10	4
3.	विद्युत (एनएचपीसी लिमिटेड)	1	0
उद्योग समूह			
4.	वित्त - वित्तीय सेवाएं विभाग (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंडस लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)	6	4
5.	भारी उद्योग (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	4	4
6.	खान (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड)	2	1
7.	इस्पात (एमएसटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड)	7	3
8.	वस्त्र (इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)	पैराग्राफ की संख्या	उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था
अवसंरचना समूह			
9.	नागर विमानन (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड)	4	4
10.	सड़क परिवहन और राजमार्ग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)	2	0
कुल		**42**	**21**

4. विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹4,779.99 करोड़ है।

5. इस रिपोर्ट में विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरुप की हैं:

- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में शामिल ₹453.62 करोड़ के नियमों, निर्देशों, क्रियाविधि, संविदा के निबंधन और शर्तों आदि का गैर-अनुपालन।
- 20 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में संगठनों के ₹3,103.45 करोड़ रुपये के वित्तीय हितों की सुरक्षा न करना।
- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹376.33 करोड़ का दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन।
- चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹846.59 करोड़ की अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनिटरिंग।

6. रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसई द्वारा "वसूली और सुधार/संशोधन" पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफ हैं, यथा (क) लेखापरीक्षा के बताने पर 15 सीपीएसई द्वारा किए गए ₹2,771.14 करोड़ की वसूली, और (ख) लेखापरीक्षा के बताने पर चार सीपीएसई द्वारा किए गए सुधार/ संशोधन।

II रिपोर्ट में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से टर्नओवर टैक्स का ₹262.60 करोड़ एकत्र किया और बाद में ₹262.60 करोड़ की लगायी गयी कुल शास्ति के प्रति, ₹65.65 करोड़ (25 *प्रतिशत*) का भुगतान करके तेलंगाना सरकार के साथ कानूनी

मामले का निपटान किया, जिसके परिणामस्वरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

(पैरा 2.1)

दो पुराने और कम कुशल ऑयल फायर्ड बॉयलरों को बदलने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) के लिए ₹132.58 करोड़ (मार्च 2018 में ₹163.09 करोड़ तक संशोधित) की अनुमानित लागत पर एक पेटकोक फायर्ड बॉयलर (बॉयलर) स्थापित करने का निर्णय लिया (जून 2015)। नए बॉयलर से रिफाइनरी के विद्युत उत्पादन और भाप लागत में प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ तक कमी आने की उम्मीद थी। बॉयलर के निर्माण से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अपेक्षित था। हालांकि अप्रैल 2018 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन किया था, जबकि परियोजना पहले ही 70-80 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी थी। तत्पश्चात, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने बॉयलर परियोजना के संबंध में सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2018)। इस प्रकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप अब तक परियोजना पर किए गए ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया जबकि बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को छोड़ दिया गया।

(पैरा 2.2)

मुंबई उच्च अपतटीय क्षेत्रों के अपतटीय प्रक्रिया प्रणाली में तेल, पानी और गैस को अलग करने की प्रक्रिया में विकसित उच्च दबाव गैस को प्रोसेस गैस कंप्रेसर में संपीड़ित किया जाता है और गैस को उठाने के उद्देश्य से कुओं में भरी जाती है। इस प्रक्रिया में, शेष गैस को आगे की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उरण में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के गैस प्रसंस्करण संयंत्र में पहुँचाया जाता है। संपीड़न में किसी भी व्यवधान से मूल्यवान उच्च दबाव गैस का प्रज्जवलन होता है जिसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कम्प्रेसर की अनुपलब्धता, बिजली की खराबी और प्रोसेस गैस कम्प्रेसर के बार-बार

ट्रिपिंग के कारण मुंबई उच्च क्षेत्रों में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस प्रज्जवलित हो गई थी।

(पैरा 2.4)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुंबई हाई एसेट एंड बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट्स ने निगमित सामग्री प्रबंधन समूह को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केसिंग पाइप की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र भेजे। निगमित सामग्री प्रबंधन ने दोनों वर्षों के मांगपत्रों को इक्टठा कर दिया और एक निविदा जारी की और 176 दिनों के निर्धारित समय के प्रति निविदा को अंतिम रूप देने में 782 दिन से अधिक का समय लिया। खरीद आदेश देने और सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप महंगे (2 से 2.5 गुना) केसिंग पाइपों का उपयोग हुआ जिसके कारण कंपनी ने ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.6)

कोलकाता में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन ने टाइप-I विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की ड्रिलिंग गहराई क्षमता) का उपयोग करके ड्रिलिंग गतिविधियों को पूरा किया। बैरकपुर कुएं में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रिग-III को अगरतला से कोलकाता लाने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह कुआं उपलब्ध टाइप-I विभागीय रिग की क्षमता से अधिक गहरा था। इसलिए, टाइप-III रिग को मई 2020 में त्रिपुरा एसेट से निर्मुक्त किया गया और जनवरी 2020 में शुरू किया गया। चूंकि महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, रिग 213 दिनों तक बेकार पडी रही। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट में अपना परिचालन जारी रखने के लिए, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक और रिग किराए पर लिया। इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹29.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.7)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेहसाणा एसेट संबद्ध और मुक्त गैस का उत्पादन करती है जिसे या तो आंतरिक उपयोग के लिए उपभोग किया जाता है, या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है या प्रज्जवलन किया जाता है। मेहसाणा एसेट में पर्याप्त सुविधाओं में देरी और गैर-सृजन के परिणामस्वरूप 193 लाख मानक क्यूबिक मीटर गैस

का परिहार्य प्रज्जवलन हुआ, जिसके कारण ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 2.8)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) ने ₹21,396 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक परियोजना शुरू की और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (जनवरी 2013) पर हस्ताक्षर किए और बाद में (जुलाई 2014) परियोजना की लागत को संशोधित कर के ₹27,011 करोड़ कर दिया। ओपीएएल ने तदनुसार एसबीआई और बैंकों के संघ के साथ एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किए और अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की और सहमति दी कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ और उसके बाद 58:42 के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसके विफल होने पर बैंकों द्वारा 01 जून 2015 से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ओपीएएल विस्तारित समय अवधि के भीतर भी आवश्यक इक्विटी भाग को जोड़ नहीं सका और ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

(पैरा 2.9)

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹10.60 करोड़ के मूल्य वाले अपने तेल और गैस भंडारों का नामांकन के आधार पर निजी पार्टियों को लेखापरीक्षण का कार्य दिया, जिससे निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिला।

(पैरा 2.10)

एनएचपीसी ने संविदा करार में गारंटीकृत न्यूनतम उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 3.1)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने, संघीय ऋण देने के तहत, उचित परिश्रम किए बिना एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए,

₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। चालू होने के बावजूद, ईंधन आपूर्ति करार के तहत सहमत दरों पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण परियोजना को व्यवहार्य रूप से नहीं चलाया जा सका और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की संपूर्ण ऋण परिसंपत्ति ₹400.49 करोड़ के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई (अप्रैल 2018)। इसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2020 तक ₹400.49 करोड़ की ऋण राशि और ₹269.43 करोड़ के ब्याज की वसूली होना संदिग्ध है।

(पैरा सं. 4.1)

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने अगस्त 2018 और मई 2016 में क्रमशः आशापुरा इंटिमेट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को ऋण संस्वीकृत किए। कंपनी दोनों ऋणों को संस्वीकृत/ संवितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करारों की शर्तों से विचलित हो गई और बकाया देयो की वसूली के लिए दोनों उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करारों के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रही। इसके कारण आशापुरा इंटिमेट्स फैशन लिमिटेड (₹12.55 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹14.79 करोड़) से ₹27.34 करोड़ के बकाया देयों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 4.2)

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पुनर्बीमा संधि और करार के तहत अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा बीमा की गयी बीमा पॉलिसियों के अन्डरराईटिंग के हिस्से की स्वीकृति के लिए, पुनर्बीमा के तहत प्रीमियम प्राप्त करती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान करता है। इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उन बीमाकर्ताओं को चालान जारी करती है जिनसे इस प्रकार सेवाकर की वसूली के लिए प्रीमियम प्राप्त किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमाकर्ता वार मिलान किए बिना इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। अभिलेखों का रख-रखाव न करने और प्राप्त पार्टी-वार पुनर्बीमा के प्रीमियम का मिलान करने में विफलता के कारण, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹23.81 करोड़ के सेवा कर की वसूली करने में विफल रही।

(पैरा 4.3)

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों

की पहचान के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और चयनित हुई (अगस्त 2016)। कंपनी ने बीमा की गयी राशि के 80 प्रतिशत के लिए पुनर्बीमा लिया और शेष 20 प्रतिशत के लिए स्वयं जोखिम उठाने का फैसला किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी 'हानि रोकने की संधि व्यवस्था' लेकर 20 प्रतिशत का अपना ऋण जोखिम भी सुरक्षित कर सकती थी लेकिन कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। कंपनी ने इस योजना के लिए ₹501.96 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया (जिसमें सह-बीमाकर्ताओं जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक का हिस्सा 25 प्रतिशत प्रीमियम पर शामिल है) जिसके प्रति कुल दावा व्यय ₹1,496.21 करोड़ था। जबकि अंतर का 80 प्रतिशत पुनर्बीमा के माध्यम से कवर किया गया था, 20 प्रतिशत, जो ₹299.24 करोड़ बनता है, को कवर नहीं किया गया था। यदि कंपनी ने हानि रोकने का पुनर्बीमा कवर लिया होता, तो इस तरह के हानि रोकने के बीमा कवर की लागत ₹16.56 करोड़ (लगभग) के रूप में मानने के बाद, यह आंशिक रूप से ₹63.76 करोड़ की हानि को कवर कर सकती थी।

(पैरा 4.4)

तेलंगाना राज्य में लागू किए गए वर्ष 2016-17 के लिए पशुधन बीमा का राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बीमा करते हुए समाप्त हो रही पॉलिसी के उपगत दावा अनुपात का पता लगाने में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और बाद में उच्च दावा अनुपात के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 4.5)

गुजरात में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संविदा मार्च 2018 में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दी गई थी। इस संविदा के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को फोटो वोल्टिक मॉड्यूल की आपूर्ति भी करनी थी। इन फोटो वोल्टिक मॉड्यूल पर डंपिंग रोधी/ सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति तभी की जानी थी यदि आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर पूरी की गयी हो। फोटो वोल्टिक मॉड्यूल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तीन आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त किए गए थे, जिसमें से दो से आपूर्ति सुपुर्दगी शुल्क प्रदत्त आधार पर थी, अर्थात परियोजना स्थल तक सभी कर और शुल्क आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने

थे और एक विक्रेता से आपूर्ति लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर न्हावाशेवा, मुंबई बंदरगाह पर थी। चूंकि आपूर्तिकर्ता से डिलीवरी, जिसने लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर आपूर्ति की, को निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित नहीं किया गया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आयात की निकासी के लिए सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता को वहन किया।

(पैरा 5.2)

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से इलेक्ट्रिक वॉकिंग ड्रैगलाइन की आपूर्ति, उत्थापन और शुरू करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ (30 सितंबर 2009)। बाद में एक ही दर पर ड्रैगलाइन के दो और सेट जोड़कर इसमें संशोधन किया गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को तीन ड्रैगलाइन की आपूर्ति की जो मई 2014, जनवरी 2016 और मई 2019 में शुरू की गई थीं। हालांकि, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले दो ड्रैगलाइन की गारंटी उपलब्धता सुनिश्चित करने में असमर्थ था। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने परिणामस्वरूप ₹32.74 करोड़ मूल्य की चार बैंक गारंटियों का नकदीकरण किया (25 सितंबर 2019)। इस प्रकार, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति की गई दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण क्रेता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण करने के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 5.3)

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में एक प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने और परिचालित करने के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को लगाया, जो प्रतिदिन ₹6.98 करोड़ के कुल मूल्य पर 200 टन कॉपर ओर टेलिंग्स ट्रीट करने की क्षमता रखता है। कंपनी ने जून, 2016 में प्रायोगिक परियोजना के चालू होने से पहले ही मलांजखंड कॉपर परियोजना में एक पूर्ण पैमाने पर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था (मई 2016), जिसमें प्रति दिन 10,000 एमटी कॉपर ओर टेलिंग्स की प्रक्रिया की क्षमता है। कंपनी ने मलांजखंड कॉपर परियोजना में 3.29 मिलियन टन प्रति वर्ष कॉपर ओर टेलिंग्स बेनेफिसिएशन प्लांट की स्थापना के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को संविदा दी। प्रायोगिक परियोजना परिचालन के 33 महीने के बाद भी अपने परिकल्पित मापदंडों

को प्राप्त करने में विफल रही और वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं पर भी अव्यवहार्य पाया गया। मलांजखंड कॉपर परियोजना संयंत्र के लिए परीक्षण जांच और विश्वसनीयता परीक्षण जांच वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही। इसलिए, प्रौद्योगिकी, जिसे अभी प्रमाणित किया जाना था, को अपनाकर, कंपनी ने न केवल अपने संसाधनों को व्यर्थ किया, बल्कि प्रायोगिक संयंत्र के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसे अपस्केलिंग करके ₹158.05 करोड़ का अनुचित और अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय भी लिया, जो विफल साबित हुआ।

(पैरा 6.1)

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) ने फैसिलिटेटर मोड के तहत लो एश मेटालार्जिकल कोक, कोयला और मैलटिंग स्क्रैप के आयात/ अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए एक प्राइवेट पार्टी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ 12 दिसंबर 2012 से एक करार किया। करार के अनुसार, सामग्री को एमएसटीसी के नाम प्रतिभूत रखा जाना था और एक अभिरक्षक की अभिरक्षा में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयंत्र के भीतर स्थित एक नामित गोदाम में संगृहीत किया जाना था। हालांकि, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद एमएसटीसी ने क्रेडिट लिमिट ऋण जोखिम बढ़ाकर समय-समय पर कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड का वित्तपोषण जारी रखा। एमएसटीसी को कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के फरवरी 2021 तक कुल बकाया देय ₹220.84 करोड़ थे और इसके प्रति कोई वसूली नहीं की जा सकी। चूंकि, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने एमएसटीसी को कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के हितधारकों की सूची में अप्रतिभूत परिचालन क्रेडिटर के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वसूली की संभावना कम प्रतीत होती है और एमएसटीसी ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखा पुस्तकों में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूरे बकाया देयों के लिए भी प्रावधान किया। इस प्रकार, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को फैसिलिटेटर मोड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति एमएसटीसी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशियों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 7.1)

एनएमडीसी लिमिटेड ने एक ही खान (डिपाज़िट 13) को एक वर्ष के भीतर दो बार पंजीकृत करने के लिए, पहले एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और फिर दूसरी बार इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के

भुगतान के कारण ₹48.36 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। शेयरधारकों सह संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशिष्ट आश्वासन प्राप्त करने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण, एनएमडीसी लिमिटेड को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

(पैरा 7.3)

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ओडिशा में स्थित छह लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों का संचालन करती है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (अगस्त 2017) ने फैसला सुनाया कि पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/से अधिक उत्पादन जैसी अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टेदारों पर शास्ति लगायी जाए। तदनुसार, ओडिशा सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के लिए ओएमडीसी से ₹643.27 करोड़ और 'खनन योजना में निर्धारित अनुमोदित सीमा से अधिक खनिजों के उत्पादन और परिचालन की सहमति' के लिए ₹58.91 करोड़ की शास्ति की मांग की (सितंबर/अक्टूबर 2017)। केंद्रीय शक्ति प्राप्त समिति, ओडिशा सरकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देशों और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह (दिसंबर 2017/मई 2018/दिसंबर 2018) के बावजूद, ओएमडीसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किया। विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 7.7)

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 51 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग और सामरिक साझेदार द्वारा शेष 49 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ निजी भागीदारी के माध्यम से इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1, एक बीमार इकाई के पुनरुद्धार के लिए इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड (आईयूटीएमएल) को निगमित किया गया था (नवंबर 2007)। फरवरी से अप्रैल 2019 के दौरान, आईयूटीएमएल ने लिखित संविदा, प्रतिभूति और ब्याज शर्तों के बिना सामारिक साझेदार की एक समूह कंपनी को कुल ₹109.34 करोड़ (30 अलग-अलग भुगतान) का अग्रिम प्रदत्त किया। आईयूटीएमएल ने आज तक (मार्च 2021) न तो कपड़े की सामग्री प्राप्त की है और न ही अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली की है। आईयूटीएमएल के कपड़ा व्यापार कारोबार में 90 से 120 दिनों की क्रेडिट अवधि की अनुमति थी, लेकिन भुगतान में किसी भी देरी के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया गया था।

अग्रिमों का अनियमित भुगतान और सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों से बिक्री आय की देरी से प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹109.34 करोड़ की अग्रिम राशि को अवरुद्ध करने के अलावा ₹29.70 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 8.1)

इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 6 मुंबई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की एक बंद कपड़ा मिल थी और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने डॉ बीआर अम्बेडकर के स्मारक के निर्माण के लिए इस भूमि (लगभग 12 एकड़) के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था। जीओएम ने भूमि के मूल्य के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के रूप में एनटीसी की क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की (मार्च 2016) जिसे ₹1,413 करोड़ के रूप में निकाला गया था और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा के लिए भी पेशकश की गई थी। एनटीसी के निदेशक बोर्ड ने हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए एक समिति का गठन किया (जनवरी 2018), लेकिन बाद में एनटीसी की ओर से हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को इस आधार पर बेचने के लिए जीओएम से अनुरोध करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018**)** कि एनटीसी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की राशि तय की गई थी और जीओएम हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हो गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीओएम की ओर से कोई पूर्व करार या सहमति नहीं थी कि वे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री करेगें और एनटीसी को सहमत राशि सौंप देंगे। एनटीसी द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए सकारात्मक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप चार वर्षों के लिए ₹1,413 करोड़ की वसूली नहीं हुई और ₹268 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(पैरा 8.2)

एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएआई) ने गोवा विमानपत्तन पर खाद्य एवं पेय (एफएंडबी) आउटलेट के विकास, विक्रय सेटअप, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए मेसर्स ट्रैवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स टीएफएस) के साथ एक रियायती करार किया (24 सितंबर 2018)। प्रारंभ में, गोवा विमानपत्तन ने लगभग 2,600 किलोवाट की वास्तविक खपत के प्रति 4,000 किलोवाट के बिजली भार को संस्वीकृति दी थी, चूंकि पुराने टर्मिनल भवन से परिचालन बंद कर दिया गया था। इसलिए शास्तिक प्रभारों से बचने के लिए लगभग 1,000 किलोवाट के अप्रयुक्त भार को अभ्यर्पित कर दिया गया था

(जून 2015)। इसलिए, एएआई को इस बात की जानकारी थी कि वर्तमान स्वीकृत भार केवल परिचालनात्मक आवश्यकता के लिए था और वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए अतिरिक्त स्वीकृत भार (लगभग 827 किलोवाट) की आवश्यकता थी। एएआई ने 1,500 किलोवाट के अतिरिक्त स्वीकृत लोड के लिए आवेदन किया (12 नवंबर 2018), जिसे गोवा बिजली विभाग द्वारा 3 जनवरी 2019 को इस शर्त पर संस्वीकृति किया गया था कि संविदा की मांग को बढ़ाने के लिए ₹5.67 करोड़ की लागत एएआई द्वारा वहन की जाएगी। हालांकि आज तक इलेक्ट्रिकल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और एएआई डीजी सेट के माध्यम से गोवा विमानपत्तन पर उपलब्ध भार से मेसर्स टीएफएस को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। पूर्ण लोड की उपलब्धता न होने के कारण, मेसर्स टीएफएस ने नवंबर 2019 में एएआई द्वारा उठाई गई मांग के प्रति ₹17.30 करोड़ की और छूट का दावा किया। अत: अपर्याप्त निर्धारण तथा गोवा विमान पत्तन पर अपेक्षित विद्युत भार की व्यवस्था में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹15.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैरा 9.1)

एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) ने 6 जुलाई 2016 से प्रभावी रोटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेसर्स बोइंग के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार एआईएल बोइंग के सेवायोग्य घटक के साथ एक अनुपयोगी हटाए गए घटक का आदान-प्रदान कर सकता है। मेसर्स बोइंग अदान-प्रदान घटकों के लिए संबंधित मरम्मत, ओवरहाल और संशोधन सेवा प्रदान करता है। करार के अनुसार, एआईएल को 10 कैलेंडर दिनों के भीतर बोइंग के प्राथमिक केंद्र में प्रत्येक हटाए गए घटक को वापस/वितरित करना था, जिसमें विफल होने पर एआईएल विलंब प्रतिफल प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, यदि घटक 20 दिनों के भीतर सुपुर्द नहीं किया गया, तो एआईएल अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान हटाए गए घटक की वापसी में लगातार देरी के कारण एआईएल ने मेसर्स बोइंग को ₹43.85 करोड़ का शास्तिक भुगतान किया।

(पैरा 9.4)

'पूर्ववर्ती शर्त' से संबंधित मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4 के अनुसार, रियायत करार के तहत एनएचएआई और रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व, निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों से पूर्णत: संतुष्टि के अधीन होंगे। एनएचएआई द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों में से एक 'फीस

अधिसूचना जारी करना' है। इसके अलावा, मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4.2 और 4.3 में बताया गया है कि यदि, एनएचएआई या रियायतग्राही, रियायत करार की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को पूर्ण करने में विफल रहे, तो वे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश राज्य में 15 जून 2015 और 27 अगस्त 2015, को क्रमशः शिवपुरी-गुना खंड के 236.00 किमी से 332.100 किमी तक चार लेन और ब्यावरा से देवास खंड के 426.100 किमी से 566.450 किमी तक चार लेन करने के लिए दो रियायत करार किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचएआई करारों में फीस अधिसूचना जारी करने से संबंधित रियायती करार में पूर्ववर्ती शर्त के पूर्व खंड को बनाए रखने के कारण रियायतग्राहियों पर पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में उनके विलंब के लिए ₹12.36 करोड़ की क्षतिपूर्ति के उदग्रहण करने में विफल रहा, जो वास्तव में इस परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि प्राप्त करने पर सड़क उपयोगकर्ताओं से फीस के संग्रहण के लिए आवश्यक था।

(पैरा 10.1)

एनएचएआई ने राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डब्ल्यू जीईएल) के साथ एक रियायती करार (मार्च 2005) किया। डब्लूजीईएल को नियत तारीख से 20 साल की रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी और रियायत अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं से टोल के संग्रहण की अनुमति दी गई थी। डब्ल्यूजीईएल ने आवधिक रखरखाव को पूरा करने में विलम्ब किया तथा करार के अनुसार ₹21.94 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उदग्राहय थी। हालांकि, सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एनएचएआई ने फरवरी 2018 की एनएचएआई के 'नीतिगत दिशानिर्देशों/आवधिक रखरखाव और क्षतियों के लिए गणना' के अनुसार क्षतिपूर्ती की गणना पद्धति को संशोधित करके रियायती करार में निर्दिष्ट से कम क्षतिपूर्ति लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जो करार पर लागू नहीं था।

(पैरा 10.2)